बिहार सरकार

राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना।
फोन नं0-0612-2215041, email-scdisability2008@gmail.com
Website : scdisabilities.org

पत्रांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-01/2019-855/आ0नि0को0 दिनांक-09 जून'2020

प्रेषक,

डॉ0 शिवाजी कुमार,
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
मुजफ्फरपुर, पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण,
सीतामढ़ी, वैशाली (हाजीपुर) एवं शिवहर (तिरहुत प्रमण्डल)।

विषय :- **कोविड19 (COVID-19) के दौरान दिव्यांगजनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देश के तहत वीडियो कॉन्फ्रेसिंग (Zoom App) के माध्यम से राज्य आयुक्त निःशक्तता द्वारा दिव्यांगजनों के लिए दि0-11.06.2020 (गुरूवार) को प्रमण्डलवार ऑनलाईन लोक अदालत के तहत सुनवाई के सम्बन्ध में।**

संदर्भ :- **(1) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016**

(2) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार द्वारा कोविड19 की वजह से उत्पन्न आपातकालीन स्थितियों के दौरान दिव्यांगजनों के संरक्षण तथा सुरक्षा के लिए दिनांक-26 मार्च,2020 को जारी व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देश।

(3) मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार का पत्र सं0-16-3/सी0सी0डी0/2018 दि0-31.03.2020

(4) इस कार्यालय का समसंख्यक पत्रांक-762/आ0नि0को0 दि0-21.04.2020 एवं 833/आ0नि0को0 दिनांक-29.05.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र सं0-833/आ0नि0को0 दिनांक-29.05.2020 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। विदित हो कि कोविड19 (**COVID-19**) के दौरान दिव्यांगजनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देश के तहत वीडियो कॉन्फ्रेसिंग (**Zoom App**) के माध्यम से राज्य आयुक्त निःशक्तता द्वारा दिव्यांगजनों के लिए प्रखण्डवार लोक अदालत के आयोजन के क्रम में दि0-11.06.2020 (गुरूवार) को तिरहुत प्रमण्डल के सम्बन्ध में ऑनलाईन लोक अदालत के तहत सुनवाई का कार्यक्रम निर्धारित है। उल्लेख पूर्वक कहना है कि प्राप्त शिकायतों की प्रमण्डलवार संख्या के आधार पर इसके पूर्व मगध प्रमण्डल के लिए दिनांक-13.05.2020, मुंगेर प्रमण्डल के लिए दिनांक-21.05.2020 एवं सारण प्रमण्डल के लिए दिनांक-29.05.2020 को प्रखण्डवार ऑनलाईन लोक अदालत का आयोजन किया जा चुका है। उक्त आयोजनों से प्राप्त अनुभवों के आधार पर तिरहुत प्रमण्डल के सम्बन्ध में दि0-11.06.2020 (गुरूवार) को आयोजित प्रखण्डवार लोक अदालत के उद्देश्यों की सम्यक पूर्ति हेतु निम्न बिन्दुओं के सम्बन्ध में आवश्यक कारवाई किया जाना अपेक्षित है :-

(1) वीडियो कॉन्फ्रेसिंग (**Zoom App**) के माध्यम से आयोजित ऑनलाईन लोक अदालत के दौरान सम्बन्धित जिलों के निम्नांकित पदाधिकारी इस न्यायालय के साथ ऑनलाईन जुड़े रहेंगे :-

(क) सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा-सह-जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग।
(ख) जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (शिक्षा)
(ग) जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्वास्थ्य)
(घ) जिला आपूर्ति पदाधिकारी
(ङ) जिला प्रबंधक, बुनियाद केन्द्र
(च) जिला विकास आयुक्त कार्यालय के पदाधिकारी

कृ0पृ0उ0............

(2) वीडियो कॉन्फ्रेसिंग (**Zoom App**) के माध्यम से राज्य आयुक्त नि:शक्तता द्वारा दिव्यांगजनों के लिए आयोजित उक्त ऑनलाईन लोक अदालत के दौरान जुड़ने हेतु **User ID** एवं **Password** सम्बन्धित पदाधिकारियों को पूर्व में ही उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) जिला सूचना एवं जन-सम्पर्क पदाधिकारी - सूचना एवं सम्पर्क विभाग तथा पंचायती राज द्वारा उक्त आयोजित पब्लिक लोक अदालतों के विषय में विविध माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय ताकि अधिक से अधिक संख्या में परिवादी दिव्यांगजन ऑनलाईन लोक अदालतों के दौरान अपनी समस्याऐं न्यायालय के समक्ष रख सके।

उक्त के आलोक में दि0-11.06.2020 (गुरूवार) को तिरहुत प्रमण्डल के सम्बन्ध में आयोजित ऑनलाईन लोक अदालत से सम्बन्धित **User ID** एवं **Password** इस प्रकार है :-

User ID	82937338075
Password	768392

अनुरोध है कि उपरोक्त बिन्दु-01 के अन्तर्गत उल्लिखित सभी पदाधिकारियों को उक्त User ID एवं Password उपलब्ध कराते हुए दि0-11.06.2020 (गुरूवार) को तिरहुत प्रमण्डल के सम्बन्ध में आयोजित ऑनलाईन लोक अदालत में भाग लेने हेतु एवं जिला सूचना एवं जन-सम्पर्क पदाधिकारी - (सूचना एवं सम्पर्क विभाग तथा पंचायती राज) को आयोजित होने वाले पब्लिक लोक अदालतों के विषय में विविध माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार करने हेतु निदेशित करने की कृपा की जाय एवं इस सम्बन्ध में निर्गत पत्र की प्रति आवश्यक सूचनार्थ इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

09.06.20

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-01/2019-855/(आ0 नि0 बि0) दिनांक-09 जून 2020

प्रतिलिपि:-सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा-सह-दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी, वैशाली (हाजीपुर) एवं शिवहर (तिरहुत प्रमण्डल) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09.06.20

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।